UPBJ010053272026

न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–3, बिजनौर।

फौजदारी प्रकीर्ण वाद सं0–353/2026

सरकार बनाम शुऐब

अन्तर्गत धारा 379, 411,
भारतीय दण्ड संहिता,
थाना कोतवाली देहात, जिला बिजनौर।
(मु0अ0सं0–140/2024)

03–06–2026

प्रार्थनापत्र पेश हुआ।

प्रार्थी/अभियुक्त शुऐब पुत्र रफीक की ओर से प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी उपरोक्त वाद के सम्बन्ध में जिला कारागार बिजनौर में निरूद्ध है। प्रार्थी की जमानत न्यायालय से दि0 01–04–2025 को 50–50 हजार रूपये के दो जमानती दाखिल करने पर स्वीकार कर रिहा करने के आदेश पारित किये गये थे। प्रार्थी अत्यधिक गरीब होने की वजह से करीब डेढ़ वर्ष से जमानत होने के उपरान्त भी जमानती दाखिल न कर पाने के कारण जिला कारागार बिजनौर में निरूद्ध है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में व्यवस्था दी गयी है कि यदि आरोपी की जमानत स्वीकार होने के साथ सात दिन के अन्दर अपने जमानतनामे दाखिल नहीं कर पाता तो उसकी आर्थिक स्थिति का आंकलन करते हुये जमानत धनराशि कम करके एक प्रतिभू पर रिहा किया जायेगा। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्था उसके उपरोक्त प्रकरण में लागू होती है। प्रार्थी की जमानत धनराशि कम करके उसको जमानत पर रिहा किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी इस समय सख्त बीमार है। उचित इलाज नहीं मिला तो उसका जीवन भी संकट में पड़ सकता है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त शुऐब द्वारा प्रार्थी की जमानत धनराशि कम करके एक ही जमानती पर रिहा करने का आदेश पारित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

नोट–यहां तक जांच लिया। 03–06–2026

सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त शुऐब द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के माध्यम से प्रार्थी की जमानत धनराशि कम करके एक ही जमानती पर रिहा करने का आदेश पारित किये जाने की प्रार्थना की गयी है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी/अभियुक्त को पूर्व में न्यायालय द्वारा दि0 01–04–2025

को पचास हजार रूपये की दो जमानतें तथा इसी धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र शर्तो के अधीन दाखिल व निष्पादित करने पर जमानत पर रिहा किया गया था। प्रार्थी प्रस्तुत प्रकरण में लगभग डेढ वर्ष से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी/अभियुक्त शुऐब द्वारा 25 हजार रूपये का एक जमानती व इसी धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांकित 01–04–2025 में दी गयी शर्तो के अनुसार दाखिल करने पर, अभियुक्त को सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाये। तदानुसार प्रार्थनापत्र निस्तारित किया जाता है।

दिनांकः–03–06–2026

(सीमा वर्मा)
प्रभारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0–3, बिजनौर।
JO CODE UP–1662

Digitally signed by SEEMA VERMA
Date: 2026.06.03 16:50:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court